

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/6/2025

अपीलाट भारथाराम पुत्र लुणाराम  
निवासी ग्राम देदरिया, बालेबा तहसील गडरा रोड़ जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 27.01.2025

अपीलाट भारथाराम पुत्र लुणाराम निवासी ग्राम देदरिया, बालेबा तहसील गडरा रोड़ जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 01.01.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलाट द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की प्रति एवं शुल्क रुपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या ऑनलाईन दिनांक 30.11.2024 का प्रतिपण संलग्न किया गया है।

अपीलाट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब में अंकित किया कि अपीलाट को कार्यालय के पत्र क्रमांक 896 दिनांक 02.12.2024 के द्वारा सूचित किया जाकर प्रार्थना-पत्र का निस्तारण कर दिया गया है लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलाट की अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलाट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो एवं सूचना का अधिकार प्रार्थना-पत्र में वांछित सूचना विकास अधिकारी, पं.स. शिव से संबंधित होने के कारण धारा 6(3) के तहत अन्तरित की जाकर प्रार्थना-पत्र का नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया है। अतः अपीलाट द्वारा प्रस्तुत अपील अवलोकन एवं विवेचन उपरांत सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलाट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलाट एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 27.01.2025 को न्यायालय में सुनाया गया।

प्रथम अपील प्राधिकारी  
जिला कलक्टर बाड़मेर  
न्यायालय

